रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249224
SG-DL-E-06102023-249224

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2023/आश्विन 13, 1945 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 239

No. 297] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2023/ASVINA 13, 1945 [N. C. T. D. No. 239

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2023

फा. सं. 1(805)/एचआर–पैरा/स्वा0एवं परि0कल्या0/2018/4423.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की जीएसआर सं0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस सरकार की दिनांक 11/03/1970 की अधिसूचना फा0 सं02(1)/70–एसईआर II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में **श्रवणमापीय सहायक** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को श्रवणमापीय सहायक भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह सरकार से परामर्श करके कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**श्रवणमापीय सहायक**
2.	**पदों की संख्या**	:	26* (2023) *(इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।)
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–5, रुपये 29200–92300/–
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु–सीमा**	:	18–27 वर्षके बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय हैं।) **टीप**:– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	**अनिवार्य**:– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से श्रवण विज्ञान में स्नातक तथा 04 वर्षों की स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। **टीप** :– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नही
9.	**परिवीक्षा की अवधि (यदि कोई है)**	:	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्श
10.	**भर्ती की पद्धति पदोन्नति द्वारा/ प्रतिनियुक्ति द्वारा/स्थानांतरणद्वारा तथा**	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

	विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशतता		
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है**	:	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के अधीन अधिकारीः— क. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में समरूप पदधारी। अथवा (ii) सातवें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर—4 के पद / संवर्ग में 05 वर्षोंकी नियमित सेवा सहित; तथा ख. कॉलम संख्या 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है; यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।)
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) :— **1.** प्रधान सचिव / सचिव (लो0नि0वि0) —**अध्यक्ष** **2.** प्रधान सचिव / सचिव (स्वा0 एवं परि0कल्या0) —**सदस्य** **3.** उप—सचिव (शह0वि0) —**सदस्य** <u>**टीप**</u> :—यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. सुनील, उप—सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2023

F . No. 1(805)/HR-Para/H&FW/2018/4423.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, GSR No. 840 Dated 13th July 1959, and in suppression of this Government's Notification No. F2(1)/70-SerII dt 11/03/1970, except as respects things done or omitted to be done before such supersession,the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Audiometric Assistant in the Department of Health and Family Welfare, namely:—

1. **Short title and commencement.** (i) These rules may be called the Audiometric AssistantRecruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Pay Level in the Pay Matrix:** – The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications** – No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(a) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,Shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories on persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
Audiometric Assistant.	26* (2023) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group-C.	Level 5 Rs.29200-92300/-	Not Applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age andeducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of Probation, if any.
Between 18 and 27 Years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be as	**<u>Essential</u>** Bachelor in Audiology and Speech Language pathology of 4 years from a recognized university/institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in	Not Applicable	Two years for Direct Recruits

advertised by DSSSB/Competent Authority.	case of candidates otherwise well qualified.		

(10)	(11)	(12)	(13)
Method of recruitment whether by promotion/by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/by deputation/ transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
By deputation failing which by Direct Recruitment	**Deputation:** Officers under the Central/State Govt./Union Territories; A.(i)Holding analogous posts in the parent cadre or department **OR** (ii)With 05 years regular services in post/Cadre of Level 4 of Pay matrix as per 7th CPC; **and** B**.**Possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under Column 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	**Group-C, Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)** 1.Pr. Secretary/ Secretary (PWD) – **Chairman.** 2. Pr. Secy./ Secy. (H&FW)– **Member.** 3. Dy. Secretary (UD) – **Member.** Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as a Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	Consultation with UPSC is not necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

S. SUNIL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.06 22:34:14 +05'30'